रांची में आदिवासी कर्मकारों की मजदूरी का भुगतान न किया जाना

611. **श्री सुशील चन्द मोहन्ता :**
श्री हुक्मदेव नारायण यादव :

क्या श्रम मंत्री 23 अगस्त, 1985 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 2923 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) उन ठेकेदारों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता और श्रम कानूनों के तहत पुलिस में मामला क्यों नहीं दर्ज किया गया;

(ख) ऐसे सभी ठेकेदारों पर उन मजदूरों की जिन्हें कम मजदूरी दी गई थी कितनी धनराशि बकाया थी; और

(ग) क्या उन मजदूरों की भविष्य निधि का पैसा जमा कर दिया गया था; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण थे और इस मद में कितनी राशि बकाया है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

भविष्य निधि के मामले

612. **श्री सुशील चन्द मोहन्ता :** क्या श्रम मंत्री 16 अगस्त, 1985 को राज्य सभा में ,तारांकित प्रश्न 2029 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस अवधि के दौरान विभिन्न श्रम कानूनों के तहत, राज्यवार भविष्य निधि के कितने-कितने मामले किस-किस स्तर की अदालत में दायर किए गए, कितने वापस लिए गए, कितने खारिज हो गए, कितनों में सुलह हो गई और कितनों में वकील छोड़ कर चले गए; और

(ख) क्या यह सच है कि फीस की राशि कम रहने और समय पर भुगतान नहीं होने के कारण अधिवक्ता बीच में ही केस छोड कर चले जाते हैं, यदि नहीं, तो उनके द्वारा बीच में ही केस ,छोड़ देने के क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जैसा कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 14 क ग की उप धारा (2) में विनिर्दिष्ट है, अधिनियम और इसके अधीन बनाई गई योजनाओं के अन्तर्गत अपराधों के सभी मामलों पर प्रेजीडेन्सी मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट केन्द्र में विचार किया जाता है । वर्ष 1982-83 से 1984-85 के दौरान, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम की धारा 14 और भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अधीन इन न्यायालयों में दायर किए गए मामलों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। नीचे देखिये खारिज किए गए निस्सारण किए गए, वापिस लिए गए मामलों और जिनमें वकील ने बहस करना छोड दिया था, उन मामलों की संख्या निम्नानुसार थी —

खारिज किए गए/निस्सारण किए गए मामलों की संख्या	940
वापिस लिए गए मामलो की संख्या	919
उन मामलों की संख्या जिनमें वकीलों ने बहस करना छोड दिया था	34

(ख) जी, नहीं । एक एडवोकेट, जिसे दिल्ली क्षेत्र के 223 मामले सौंपे गए थे, ने इन मामलों की बीच में ही बहस करना छोड़ दिया गया था क्योंकि उसका चैम्बर तीस हजारी कोर्ट में था और उसे पटियाला हाऊस न्यायालय में मामलों की पैरवी करने में असुविधा होती थी। उड़ीसा क्षेत्र में, एक एडवोकेट, जिसके पास 11 मामले थे, को उड़ीसा उच्च न्यायालय में जज के रूप में तरक्की हो जाने पर बीच में ही इनको छोड़ना पड़ा ।